ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बरः—213/2019 प्रार्थना पत्र
—श्री छगनलाल पिता हुक्मीचन्द ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री सत्यनारायण पिता मोहनलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री घनश्याम पिता मोहनलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्रीमति चांदी पत्नि मोहनलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री शिवनारायण पिता श्यामलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान) ———प्रार्थीगण

बनाम

—श्री भैरू पिता मोहन दरोगा, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री सुखदेव पिता बक्षु दरोगा, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्री नाथूलाल पिता रूपलाल लखारा, उम्र बालिग निवासी बांसड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
(राजस्थान) ———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—21.10.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान -राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बांसड़ा ़वार हल्का गून्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 225 रकबा 6 बीघा 15 स्वा, 226 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, 227 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 228 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 230 कबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। क्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के मा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण र्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना ़ते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश ान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 5.9.2019 को पंजीबद्व किया जाकर ़ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे मेल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे ाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने कें कारण दिनांक 18.10.2019 को एक तरफा कार्यवाही ़ जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक का बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, ़ल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने ते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकारी
लवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 तहत स्वीकार किया जाकर कि ग्राम बांसड़ा पटवार हल्का गून्दली तहसील व जिला भीलवाड़ा में ग्रत हाल आराजी नम्बर 225 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, 226 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, 227 रकबा 4 घा 5 बिस्वा, 228 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, 230 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 23 घा 19 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पांसल को 2400/–(दो हजार चार सौ रूपये) पये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा रावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ही पत्थरगढ़ी की जावें। थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner